# कार्यालय आर0 के0 (पी0जी0) कालिज, शामली

(सम्बद्ध–माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर)

ई–मेल rkpgcollege1@yahoo.com , rkpgcollegeshamli090@gmail.com
वेबसाइट www.rkpgcollegeshamli.in

मोबाइल नं0 7417572324

एल0 / एक–1 / दि0 20/01/25

सेवा में,

1.प्रभारी, अमर उजाला कार्यालय, शामली।
2.प्रभारी, पूरब पश्चिम, शामली।

प्रिय महोदय,

कृपया निम्नलिखित निविदाओं की आमंत्रण सूचना का विज्ञापन अपने दैनिक समाचार–पत्र में एक दिन के लिए सूक्ष्म शब्दों में प्रकाशित कर विज्ञापन की दो कटिंग व देय बिल महाविद्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय,

(प्रो0सत्येन्द्र पाल)
PRINCIPAL
R K (PG) COLLEGE,
SHAMLI

## टेण्डर आमंत्रण सूचना

उ0प्र0 के मूलनिवासियों को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय की ग्राम सिक्का स्थित कृषि फार्म पर क्षेत्रफल 240 बीघा कच्चा कृषि योग्य भूमि को तीन वर्ष हेतु किराये / ठेके पर दी जानी है। विस्तृत शर्तों का विवरण व टेण्डर फार्म रू0 500 /– जमा कर कालिज से प्राप्त करें। टेण्डर फार्म एवं शर्तें महाविद्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। दिनांक 11-02-25 को 01:00 बजे तक जमा करें। टेण्डर दि0 11·02·25 को 02:00 बजे टेण्डर दाताओं की उपस्थिति में खोले जायेंगें।

प्राचार्य
PRINCIPAL
R K (PG) COLLEGE,
SHAMLI

सचिव
SECRETARY
R K (PG) COLLEGE,
SHAMLI

## आर0 के0 (पी0जी0) कालिज, शामली

## कालिज कृषि फार्म सिक्का को ठेके पर देने हेतु निर्धारित शर्तें

(ठेका अवधि दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2028 तीन वर्षीय)

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कालिज के कृषि फार्म सिक्का जो शामली से लगभग 10 किमी0 दूर सहारनपुर मार्ग पर स्थित है। उक्त कृषि फार्म जो ठेके पर दिया जाना प्रस्तावित है का क्षेत्रफल भू–लेखों के अनुसार निम्नवत् है:

| | |
|---|---|
| खसरा नं0580 | 2–364 हेक्टेयर |
| 582 | 2–105 हेक्टेयर |
| 676 | 1–519 हेक्टेयर |
| 596 | 0–625 हेक्टेयर |
| 589 | 4–912 हेक्टेयर |
| 724 | 3–404 हेक्टेयर |
| 779 | 0–841 हेक्टेयर |
| 862 | 0–378 हेक्टेयर |
| | 16–148 हेक्टेयर (240 बीघा कच्चा) |

उक्त क्षेत्रफल की सिंचाई व्यवस्था हेतु कृषि फार्म पर 10X4 एवं 9X3 के दो सबमर्सिबल पम्प जो विद्युत कनेक्शन से सुसज्जित हैं, इसके अतिरिक्त 9X4 का बोरिंग चालु हालत में है, उसमें सबमर्सिबल सैट पड़ा है। कृषि फार्म पर सभी सुविधाओं से सुसज्जित प्रक्षेत्र भवन बरामदा तथा पर्याप्त अहाता है। उक्त व्यवस्था का ठेकेदार उपयोग कर सकता है। उक्त ठेके को लेने हेतु ठेकेदारों को निम्न शर्तों का पालन करना होगा एवं अन्य शर्तो का विवरण निम्नवत् है :–

1.भूमि का जो भाग उपरोक्त दर्शाया गया है तथा मौके पर है ''जो है जहॉ है जैसा है'' की स्थिति में रहेगा।

2.उपरोक्त अंकित किये गये क्षेत्रफल का एक ही ठेका होगा, अलग–2 या खेतवार नहीं होगा।

3.ठेका अवधि 01.04.2025 से 31.03.2028 तक तीन वर्ष रहेगी।

4.टेण्डर दाता फार्म पर उपलब्ध मशीनरी, कृषि फार्म का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण के उपरांत ही टेण्डर भरें।

5.ठेकेदार किसी मिल मशीनरी का पानी खेतों में प्रवेश नहीं करायेगा।

6.भूमि केवल खेती करने हेतु दी जा रही है किसी अन्य प्रकार की जिन्स के उपभोग हेतु नहीं दी जायेगी।

7.ठेकेदार कालिज के कृषि फार्म से मिट्टी नहीं उठायेगा न ही उठाने देगा।

8.टेण्डर स्वीकृति के उपरांत ठेकेदार को भूमि फसल तैयार करने हेतु अथवा बोने हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी। परन्तु लिखित स्वीकृति ठेका अवधि के एक माह अर्थात 30अप्रैल,2025 तक एग्रीमैंट हेतु स्टाम्प उपलब्ध कराने के बाद ही दी जायेगी। ठेकेदार को लिखित अनुबंध हेतु वर्तमान में 2 प्रतिशत तथा तत्समय जो स्टाम्प प्रतिशत देय होगा के स्टाम्प पेपर अनुबंध हेतु कालिज में प्रथम एक माह के अन्दर जमा कराकर अनुबंध कराना होगा। ऐसा न करने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है।

9.ठेके की कुल स्वीकृत धनराशि की छः बराबर किस्ते होगीं जो निम्न तिथियों को ठेकेदार को देय तिथियों पर जमा करानी होगी। प्रथम किश्त दिनांक 01.07.2025, द्वितीय किश्त 01.12.2025, तृतीय 01.06.2026, चतुर्थ किश्त 01.11.2026,पॉचवीं किश्त 01.05.2027 एवं छठी किश्त 01.10.2027 को जमा करानी होगी।

10.ठेकेदार यदि देय तिथि पर किश्त जमा नहीं करता है तो उसको 60 दिन का समय 15 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ दिया जा सकता है। तदापि भी यदि ठेकेदार कुल तीन माह में धन जमा नहीं करता है तो फसल पर कालिज का कब्जा होगा यदि फिर भी देय रहता है तो तहसील द्वारा रिकवरी कराई जायेगी।

11.यदि ठेका अवधि में किसी भी कारणवश पानी की आपूर्ति नहीं होती है या अन्य किसी प्राकृतिक आपदा के कारण कोई हानि होती है तो महाविद्यालय किसी भी प्रकार का कोई क्लेम स्वीकार नहीं करेगा। ठेके के आरम्भ में सबमर्सिबल चालू हालत में दिया जायेगा तथा चालू हालत में लिया जायेगा।

12.यदि फार्म पर मशीनरी आदि में कार्य करते समय ठेकेदार अथवा उसके आदमी के साथ कोई दुर्घटना होती है तो कालिज उत्तरदायी नहीं होगा।

13.कोई भी अधिवक्ता जो राज्यबार कौंसिल में पंजीकृत है ठेका लेने हेतु अर्ह नहीं है।

14.पूर्व ठेकेदार को कालिज से अदेय/अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर टेण्डर के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

15.यदि ठेका स्वीकृति के उपरांत यह संज्ञान में आता है कि ठेकेदार सक्रिय रूप से असामाजिक व अपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है या उसके द्वारा दिये गये कथन त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो उसे प्रदान किया गया अनुबंध कारण बताओं नोटिस जारी करके निरस्त की कार्यवाही की जायेगी।

16.यदि ठेकेदार कालिज के गन्ना बॉड में गन्ना डालना चाहता है तो वह कॉलिज के बॉन्ड में गन्ना डाल सकता है। धन प्राप्ति की गणना उसी दिन से होगी जिस दिन धनराशि कालिज के खाते में जमा होगी।

17.यदि ठेकेदार फसलों का बीमा कराना चाहता है तो वह पूर्णतः अपने व्यय पर करा सकता है।

18.भूमि का लगान कालिज वहन करेगा।

19.विद्युत बिल ठेकेदार वहन करेगा, यदि ठेका अवधि में विद्युत मोटर तार स्टार्टर आदि खराब हो जाते हैं या फूंक जाते हैं तो उनकी मरम्मत कराना या नये लगाना ठेकेदार का उत्तरदायित्व होगा।

20.ठेकेदार को निविदा जमा कराते समय अपना हैसियत प्रमाण–पत्र, चरित्र प्रमाण–पत्र तथा रू0 1,00,000/–(रू0 एक लाख मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट ''आर0के0 पी0जी0 कालिज, शामली'' के नाम तैयार कराकर संलग्न करना होगा।

21.उक्त कृषि फार्म का तीन वर्षीय ठेकेदारी हेतु आरक्षित टेण्डर मूल्य रूपये 55.00 लाख होगा।

22.यदि ठेकेदार बार–2 सूचना के उपरांत भी किश्त जमा नहीं करता है तो कालिज प्रशासन को फसल को काटने से रोकने तथा फसल की नीलामी करने का अधिकार होगा।

23.सभी शर्तों का लिखित अनुबंध ठेकेदार एवं कालिज के बीच होगा। ठेका अवधि में यदि ठेकेदार निवास स्थान परिवर्तन करता है तो उसकी लिखित सूचना कालिज को देगा।

24.ठेकेदार को अपना नामिनी घोषित करना होगा , जो ठेकेदार की मृत्यु की दशा में देय का उत्तरदायी होगा।

25.जिस व्यक्ति के नाम ठेका छुटेगा उसे कुल ठेके की धनराशि के 10 प्रतिशत की एफडीआर तीन वर्षीय आर0के0कालिज, के नाम बंधक कराकर देनी होगी जो ठेके के अंत में समायोजित होगी।

उपरोक्तानुसार अनुबंध में कोई शर्त को जोड़ने अथवा हटाने एवं टेण्डर निरस्त या स्वीकृत करने का अधिकार प्रबंधसमिति में निहित होगा। इस संबंध में कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। सील्ड बन्द टेण्डर दिनांक 21.02.2025 को 01:00 बजे तक पंजीकृत अथवा वाहक द्वारा कालिज कार्यालय पहुँच जाने चाहिए। जो दिनांक 21.02.2025 को ही 02:00 बजे कार्यालय में टेण्डर दाताओं की उपस्थिति में खोले जायेंगें।

कृषि फार्म प्रभारी,
आर0के0(पी0जी0) कालिज,शामली

प्राचार्य,
PRINCIPAL
R K (PG) COLLEGE
SHAMLI

सचिव,
प्रबंधसमिति,
SECRETARY
R K (PG) COLLEGE,
SHAMLI

अध्यक्ष,
प्रबंधसमिति,
आर0के0(पी0जी0) कालिज, शामली